15.03 hrs

Motion Regarding Suspension of Members from the Service of the House Under Rule 374

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri B. Manickam Tagore, Shri Amrinder Singh Raja Warring, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Hibi Eden, Dr. Prashant Yadaorao Padole, Adv. Dean Kuriakose, Shri S. Venkatesan and Shri Chamala Kiran Kumar Reddy in utter disregard to the House and the authority of the Chair through reaching to the Table of the Secretary-General and other officers in the well of the House and throwing papers on the Chair, and having been named by the Chair, resolves that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374 (2). (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु जो प्रस्ताव पेश किया है, अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि यह सभा श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री हैबी ईडन, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री श्री सु. वेंकटेशन और श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा सभा में महासचिव के पटल और सभा में आसन के निकट अन्य अधिकारियों तक आने और अध्यक्षपीठ पर कागज फेंकने तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर उपेक्षा किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374 (2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र के अवशिष्ट काल तक के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

(व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Everybody, please be seated.

(*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

-

15.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, February 4, 2026/Magha 15, 1947 (Saka).

———

---

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

* Expunged as ordered by the Chair.